न्यायालय राजस्व अपील पाधिकारी. कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/170

1. विजय कुमार आत्मज कृष्ण सेनी जाति माली सेनी निवासी हाउस नं0 201 विलेज बख्तावरपुर दिल्ली–36
2. नवीन कुमार आत्मज सुरेश कुमार सैनी जाति माली सैनी निवासी हाउस नं0 361 विलेज बख्तावरपुर दिल्ली–36
3. प्रवीण कुमार आत्मज सुरेश कुमार सैनी जाति माली सेनी निवासी हाउस नं0 361 विलेज बख्तावरपुर दिल्ली–36

–अपीलांटगण

बनाम

1. सुषमा पत्नि सुरेश कोशिक जाति ब्राहम्ण निवासी भेसरूकला जिला रोहतक– हाल निवास दयाचन्द कोलोनी बीबनवा रोड बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी राज0
2. आकांशा सैनी पुत्री राजेश सैनी जाति माली सेनी निवासी हाउस नं0 449 विलेज बख्तावरपुर दिल्ली–36

3.स्नेहलता पत्नि राजेश सैनी जाति माली सेनी निवासी हाउस नं0 449 विलेज बख्तावरपुर दिल्ली–36

4.राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी राजस्थान।

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहसः– 1.श्री शिव तोषनीवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेन्द्र जैन, शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 27.06.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डोली जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 123/2018 में पारित निर्णय दिनांक 04.10.2023 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय

दाना भूमया क बाच म अन्य व्याक्त का भूमे स्थित है। प्राथीया रेस्पोडेन्ट

का प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा सं0 941/568 रकबा 2 बीघा 1004/154 रकबा 13 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 15 बीघा वाके ग्राम दरा का नयागांव पटवार हल्का डाबेटा तहसील हिण्डोली जिला बूंदी में स्थित है जो जमाबंदी संवत 2075 से 2078 की खतोनी सं0 198 में प्रार्थीया के नाम खातेदारी में दर्ज है। खसरा सं० 1004/154 रकबा 13 बीघा व खसरा सं० 941/568 रकबा 2 बीघा दोनों भूमियां एक जगह नहीं है। दोनों भूमियों के बीच में अन्य व्यक्ति की भूमि स्थित है। प्रार्थीया की भूमि खसरा सं० 1004/154 पर आने जाने का रास्ता, अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं० 929/154 रकबा 8 बीघा में दक्षिण साइड में याने केसरदास की भूमि खसरा सं. 930/572 व 931/572 के उत्तरी साइड के सहारे बना हुआ है। प्रार्थीया अपनी उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक निरंतर निर्बाध रूप से काबिज चली आ रही है। ग्राम आकोदा से डाबेटा जाने वाली पक्की सडक बनी हुई है। उक्त पक्की सडक से एक आम रास्ता उतरी दिशा में जाता है जो सुरेश सैनी के खेत तक जाता है उक्त रास्ता आकोदा वाली पक्की सडक से उतरी ओर 30 फिट चौडा रास्ता मौके पर बना हुआ है जो बरसाती नाले व केसरदास की जमीन के बीच में स्थित सिवायचक भूमि में होता हुआ अप्रार्थीगण की भूमि तक बना हुआ है जिसका उपयोग प्रार्थीया व अप्रार्थीगण व अन्य व्यक्ति करते आ रहे है। मौके पर उक्त रास्ता बदस्तुर चालू है। आकोदा से डाबेटा जाने वाली पक्की सडक से अप्रार्थीगण की भूमि खसरा सं० 929/154 तक सिवायचक भूमि पर बना हुआ है। उक्त रास्ते की स्वामी राजस्थन राज्य सरकार है उक्त रास्ता मौके पर बना हुआ है एवं चालू है लेकिन राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं है। इस रास्ते के बाबत प्रार्थीया कोई घोषणा नहीं चाहती है । सिवायक भूमि पर बना हुआ रास्ता खसरा सं0 929/154 की सीमा तक विद्यमान है। प्रार्थीया उक्त रास्ते से अपनी भूमि खसरा सं० 1004/154 पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा सं0 929/154 पर दक्षिण साइड में, याने केसरदास की जमीन खसरा सं० 930/572 व 931/572 के उत्तरी साइड के सहारे 10 फिट चौडे रास्ते की घोषणा करवाना चाहती है प्रार्थीया द्वारा चाहे गये रास्ते का नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' के रूप में पेश किया जा रहा है। प्रार्थीया की भूमि खसरा सं0 1004/154 रकबा 13 बीघा भूमि पर आने जाने हेतु अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है । प्रार्थीया द्वारा चाहे गये रास्ते का ही काफी वर्षों से प्रार्थीया उपयोग उपभोग करती आ रही है लेकिन अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा सं० 929/154 में केसरदास की जमीन के उतरी दिशा में बने हुये उक्त रास्ते के उपयोग में बाधा उत्पन्न करते है और प्रार्थीया के आवाजाही में बाधा उत्पन्न करते है और धमकी देते है कि यह जमीन हमारे खाते में है हम तुम्हें हमारे खाते की भूमि में होकर नहीं निकलने देंगे । अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 द्वारा केसरदास जी की जमीन के सहारे स्थित अप्रार्थीगण की भूमि पर होकर प्रार्थीया को अपनी भूमि में आने जाने में बाधा उत्पन्न करते है और धमकी देते है कि हम तुम्हें हमारे खाते की भूमि पर होकर नहीं निकलने देंगे। अंतिम बार गत 10 दिनों पूर्व अप्रार्थी 1 लगायत 3 ने

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी

प्रार्थीया को उक्त धमकी देने से प्रार्थीया को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का वाद कारण उत्पन्न हुआ है जो निरंतर जारी है। प्रार्थीया को अपनी भूमि पर आने जाने का पूर्ण अधिकार है । राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है जहां सभी खेतो पर जाने के लिए एक दूसरे के खेतो की मेडो पर होकर ही आते जाते है लेकिन अप्रार्थीगण की भूमि खसरा सं० 929/154 की दक्षिणी साइड में व केसरदास की जमीन खसरा सं 930/572, 931/572 के उत्तरी साइड के सहारे में प्रार्थीया की भूमि पर आने जाने हेतु बने रास्ते को नष्ट करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का विवाद न हो तथा आपसी सौहार्द व प्रेमभाव बना रहे इसलिए प्रार्थीया अपनी भूमि पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि खसरा सं० 929/154 की दक्षिणी साइड की भूमि अर्थात केसरदासर की जमीन के उतरी साइड में पूर्व से पश्चिम 10 फिट चौडे रास्ते की घोषणा करवाना चाहती है। प्रार्थीया को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीया अपनी भूमि खसरा सं० 1004/154 पर आने जाने हेतु खसरा सं0 929/154 की दक्षिणी सीमा पर केसरदास की जमीन ख० सं० 930/572 व 931/572 के उत्तरी सीमा के सहारे 10 फिट चोडे रास्ते की घोषणा करवावे एवं रास्ता घोषित किये जाने वाली भूमि का रकबा अप्रार्थीगण के खाते में से कम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गे०मु० रास्ता दर्ज करवावे । अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ते हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि का मुआवजा नियमानुसार प्रार्थीया अदा करने को तत्पर है । प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता जिसको नजरी नक्शे में प्रदर्शित किया गया है उक्त रास्ते को राजस्व नक्शे में लाल स्याही से रासते के रूप में प्रदर्शित किया जाना व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक हे। प्रार्थीया द्वारा 10 दिन पूर्व प्रार्थीया के रास्ते को बंद करने की धमकी देने से वाद कारण श्रीमान के न्याय क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है । अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया खातेदारी भूमि खसरा सं0 1004/154 रकबा 13 बीघा भूमि वाके ग्राम दरा का नयागाव पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि खसरासं० 929/154 की दक्षिणी सीमा में याने केसदारास की भूमि ख०सं 930/572, 931/572 के उत्तरी सीमा के सहारे 10 फिट चौडे रास्ते की घोषणा की जाकर नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये रास्ते का राजस्व नक्शा में लाल स्याही से रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। एवं रास्ते में अवाप्त किये जाने वाले रकबे को अप्रार्थीगण के खाते में से कम किया जाकर रास्ते में अवाप्त भूमि को राजस्व रिकर्ड में गे.मु. रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे । प्रार्थीया नियमानुसार रास्ते में अवाप्त की जाने वाली भूमि का मुआवजा अदा करने को तत्पर है। अन्य न्यायोचित सहायता जो प्रार्थी को उपलब्ध हो प्रदान की जावे

2. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.10.2017 के द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि में आने जाने

हेतु रास्ता खसरा नम्बर 154/573, 929/154, 930/572, 929/157 की भूमि में कायम किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 निरस्त किया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपीलन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हुक्म जेर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय जैरे अपील विधिक संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यो एंव स्थापित कानून के सर्वथा विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के खाते की कृषि भूमि खसरा संख्या 929/154 में से 13 फिट चौडे रास्ते हेतु लगभग 9 बिस्वा भूमि रास्ते के लिए प्रार्थीया को दिये जाने हेतु निर्णय पारित किया गया है जिसकी प्रतिकर राशि प्रार्थीया द्वारा खसरा संख्या 154/573 के खातेदारो को भुगतान करने का निर्णय पारित किया गया है जबकि रास्ते के लिए भूमि अपीलाटगण की ली गयी है और प्रतिकर का भुगतान खसरा संख्या 154/573 के खातेदारो को किये जाने का निर्णय पारित किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते के रूप में अपीलांटगण की उक्त भूमि लेने के पूर्व अपीलांटगण को अपने जवाब के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। अपीलांटगण/अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि प्रार्थीया द्वारा मांगे गये उक्त रासते पर अपीलांटगण के कमरा बोरिंग रसोई आदि बने हुए है जिसका उपयोग उपभोग अपीलांटस करते चले आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीया को दिये गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य सुलभ व सरल रास्ता उपलब्ध होने के बाद भी उक्त का निर्णय पारित किये जाने में भारी कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में

12

प्रार्थीया को जो रास्ता दिया गया है उस रास्ते में अपीलांटस के बोरिंग कमरा, रसोई आ रहे है इस बिन्दु पर विचार किये बिना एंव अन्य रास्ता दिये जाने के सुगम ओर सरल आधार उपलब्ध होने के बावजूद उक्त निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है जो निरस्त होने योग्य है। ग्राम दरा का नया गांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज० स्थित उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियां वन्य जीव अभ्यारण्य में आने के कारण उक्त भूमियो में किसी भी प्रकार का निर्माण बेचान आदि एंव राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करना निषेध है इस वैधानिक एंव महत्वपूर्ण बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार किये बिना उक्त निर्णय पारित किये जाने में भारी कानूनी भूल की है जो निरस्त होने योग्य है। ग्राम दरा का नयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज० में स्थित उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियां वन्य जीव अभ्यारण में आने के कारण वन विभाग को पक्षकार बनाया जाना कानूनी रूप से आवश्यक था किन्तु वन विभाग को पक्षकार बनाये बिना उक्त निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में प्रार्थीया को दिये गये रास्ते की सम्पूर्ण भूमि अपीलांटगण के खाते की भूमि में दी गयी है जबकि वहां पर अन्य भूमियां भी स्थित है जिसमें रास्ते की भूमि दी जा सकती थी। सम्पूर्ण भूमि केवल मात्र अपीलांट की रास्ते हेतु लिये जाने से नैसर्गिक सिद्वान्त के विपरीत होने के कारण उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2023 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो रास्ता अपीलांट की भूमि में कायम किया है वह रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की भूमि में आने जाने हेतु मौके पर विद्यमान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रास्ते के संबंध में मोका रिपोर्ट तलब की गई। प्रश्नगत रास्ते का मोका रिपोर्ट पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा विधिवत रूप से तैयार की गई है। उक्त मोका रिपोर्ट में भी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता अपीलांटगण की भूमि खसरा संख्या 154/573, 929/154, 930/572, 929/157 में होने का अंकन है। उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा विधि अनुसार तैयार की गई है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत रास्ता अपीलांट की भूमि में कायम किये जाने का निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है। प्रश्नगत रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आत्यांतिक आवश्यकता का रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते की भूमि में आने जाने हेतु विद्यमान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 68 से 70 की पालना करते हुए निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.10.2023 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया

जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2023 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रालवी के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से स्वयं के खाते की खसरा नम्बर 1004/154 रकबा 13 बीघा भूमि में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 929/154 की दक्षिणी सीमा, 930/572 एवं 931/572 की उत्तरी सीमा की भूमि के सहारे कायम किए जाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2023 में प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता खसरा सख्या 929/154 की दक्षिणी सीमा व खसरा नम्बर 930/572 की उत्तरी सीमा के सहारे खसरा नम्बर 929/154 में कायम किए जाने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित रास्ते की मौका रिपोर्ट तलब की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में विवादित रास्ते की मौका रिपोर्ट संलग्न है जिसमें प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 929/154 की दक्षिणी सीमा व खसरा नम्बर 930/572 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे कायम किया जाना प्रस्तावित किया गया है। उक्त मोका रिपोर्ट पर पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर अंकित है। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) को प्रभाव देने के लिए बनाए गए नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल का निरीक्षण करेगा या किसी अधिकारी द्वारा जो भू–अभिलेख निरीक्षक पद से नीचे का नहीं होगा, से निरीक्षण करवायेगा तथा प्रभावित व्यक्तियों की आपत्ति आमंत्रित करेगा। चूंकि विवादित रास्ते की रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 की पालना करते हुए विवादित रास्ते की रिपोर्ट तैयार की गई है। विवादित रास्ते की रिपोर्ट में प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते की भूमि में आने जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता एकमात्र रास्ता होने तथा इसके अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं होने का अंकन है। हमारे मत में विवादित रास्ते की रिपोर्ट वैकल्पिक रास्ते के बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए तैयार की गई है। अतः विवादित रास्ते की रिपोर्ट में किसी प्रकार की विधिक एवं प्रकियात्मक त्रुटि होना परिलक्षित नहीं होता है। हमारे मत में प्रश्नगत रिपोर्ट विधिवत रूप से तैयार की गई है तथा उक्त विधिवत रूप से तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीया के खाते की भूमि में आने जाने हेतु प्रश्नगत रास्ता कायम किए जाने का जो आदेश अपने निर्णय दिनांक 04.10.2023 में अंकित किया है वह विधि सम्मत है।

15

अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए है तथा उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित किया गया है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2023 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 123/2018 में पारित निर्णय दिनांक 04.10.2023 यथावत रखा जाता है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 27.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा